

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार।

फौजदारी क्षेत्राधिकार

जनपद हरिद्वार के समस्त सत्र परीक्षण वाद (एन.डी.पी.एस. एकट, गैंगस्टर एकट एवं एस.सी.एस.टी.एकट के वादों को छोड़कर) 135 विद्युत अधिनियम से समबन्धित विशेष सत्र परीक्षण वाद एवं सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार की फौजदारी अपील एवं पुनरिक्षण वाद।

दीवानी क्षेत्राधिकार

सम्पूर्ण जनपद के मूलवाद अन्तर्गत धारा 92 सी0पी0सी0, वक्फ बोर्ड अधिनियम, धारा 5 सोसायटी रजिस्ट्रेशन एकट, निष्पादन वाद आरबीटैशन एकट, प्रोबेट, नियत प्राधिकारी / श्रमायुक्त अधिनियम, चुनाव याचिका नगर निगम, नगर पंचायत एवं नगर पालिका, लैण्ड एक्यूजिशन एकट शैक्षिक टिड्बुनल, इन्सोलवेन्सी अधिनियम, पांच लाख रुपये के मूल्यांकन तक के सिविल अपील, प्रकीर्ण सिविल अपील, सिविल निगरानी, रेन्ट कन्ट्रोल अपील, पी0पी0 एकट, खफीफा वाद 25000/- रुपये से अधिक के मूल्यांकन के एवं तहसील हरिद्वार एवं लक्सर से समबन्धित सिविल अपील, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, स्थानान्तरण वाद अन्तर्गत धारा 24 सी0पी0सी0।

पंचम अपर जिला जज, हरिद्वार

फौजदारी क्षेत्राधिकार

मूल रूप से सम्पूर्ण जनपद के (एन.डी.पी.एस. एकट एवं गैंगस्टर एकट) से सम्बन्धित वादों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है, अन्य सभी दीवानी एवं फौजदारी वाद माननीय जनपद न्यायाधीश हरिद्वार द्वारा समय समय पर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

द्वितीय त्वरित न्यायालय / अपर जिला जज, हरिद्वार

फौजदारी क्षेत्राधिकार

मूल रूप से सम्पूर्ण जनपद के एस0सी0एस0टी0 अधिनियम) से सम्बन्धित वादों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है एवं अन्य सभी दीवानी एवं फौजदारी वाद माननीय जनपद न्यायाधीश हरिद्वार द्वारा समय समय पर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाते हैं।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हरिद्वार

- (ए) थाना कोतवाली नगर हरिद्वार, थाना कोतवाली ज्वालापुर, थाना कोतवाली रानीपुर, थाना जी0आर0पी0, हरिद्वार, थाना आर0पी0एफ0 हरिद्वार से सम्बन्धित सभी पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद पर आधारित सभी प्रकार के फौजदारी वाद।
- (बी) मुख्यालय हरिद्वार से सम्बन्धित सभी आर्थिक अपराध।
- (सी) जनपद हरिद्वार के सभी राजपत्रित अधिकारी, पुलिस उपनिरिक्षक एवं उनसे उपर के अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस चालानी वाद एवं परिवाद पर आधारित मामलों का एवं आबकारी विभाग से सम्बन्धित समस्त मामलों का क्षेत्राधिकार।
- (डी) सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चालान, 92 फैक्ट्री अधिनियम, वन्य जीव जन्तु अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, श्रम सविदा अधिनियम एवं उपरोक्त थानों से सम्बन्धित 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।
- (ई) सम्पूर्ण जनपद से सम्बन्धित नगर पालिका अधिनियम की अपील।

सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग) हरिद्वार

मुख्यालय हरिद्वार के मूल्यांकन एक लाख रुपये से अधिक किसी भी सीमा तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार एक से लेकर पच्चीस हजार तक के मूल्यांकन तक, उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख से अधिक किसी भी सीमा तक, सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से सम्बन्धित इजराय वाद एवं मुख्यालय हरिद्वार से सम्बन्धित पी0ए0 वाद।

द्वितीय अपर सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग) / अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

हरिद्वार

थाना बहादराबाद से सम्बन्धित सभी पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित वाद एवं 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

सिविल जज(कनिष्ठ प्रभाग) हरिद्वार

मुख्यालय हरिद्वार के मूल्यांकन एक लाख रुपये तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार तक, उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख तक तथा सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से सम्बन्धित इजराय वाद।

थाना श्यामपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित दण्डवाद एवं सम्बन्धित थाने के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पुलिस चालानी, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम व पुलिस अधिनियम से सम्बन्धित वाद एवं 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

न्यायालय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, हरिद्वार।

(ए) थाना कनखल एवं पथरी से समबन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद।

(बी) उपरोक्त थानों से समबन्धित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पुलिस चालानी, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम एवं पुलिस अधिनियम से सम्बन्धित वाद एवं 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

अपर जिला जज, रुडकी

मूल रूप से रुडकी उपमुख्यालय से सम्बन्धित सिविल अपील एवं प्रकीण सिविल अपीलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रथम त्वरित न्यायालय/अपर जिला जज, रुडकी

मूल रूप से रुडकी उपमुख्यालय के समस्त एन0डी0पी0एस0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग) रुडकी

उपमुख्यालय रुडकी के मूल्यांकन एक लाख रुपये से अधिक किसी भी सीमा तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार एक से लेकर पच्चीस हजार तक के मूल्यांकन तक, उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख से अधिक किसी भी सीमा तक, सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से सम्बन्धित इजराय वाद एवं मुख्यालय हरिद्वार से सम्बन्धित पी0ए0 वाद।

अपर सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग)/ अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रुडकी

थाना मगलोर एवं भगवानपुर से सम्बन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित वाद एवं सम्बन्धित थाने के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पुलिस चालानी मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम व पुलिस अधिनियम से सम्बन्धित वाद एवं 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रुडकी

थाना कोतवाली रुडकी एवं कोतवाली गंगानहर से समबन्धित सभी पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित दण्डवाद तथा समबन्धित थाने के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पुलिस चालानी मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम, शाप एक्ट, पुलिस अधिनियम, आबकारी विभाग से सम्बन्धित समस्त वाद एवं 3/7 ई0/सी0 अधिनियम से सम्बन्धित वाद।

सिविल जज(कनिष्ठ प्रभाग)/ जे0एम0 रुडकी

उपमुख्यालय रुडकी के मूल्यांकन एक लाख रुपये तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार तक, उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख तक, सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से सम्बन्धित इजराय वाद।

थाना झबरेडा एवं थाना बुगावाला से समबन्धित पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित दण्डवाद एवं समबन्धित थाने के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, पुलिस

सिविल जज(वरिष्ठ प्रभाग) / अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी लक्सर

तहसील लक्सर के मूल्यांकन एक लाख रुपये से अधिक किसी भी सीमा तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार एक से लेकर पच्चीस हजार तक के मूल्यांकन तक, उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख से अधिक किसी भी सीमा तक, सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से सम्बन्धित इजराय वाद।

थाना लक्सर एवं थाना जी०आर०पी० लक्सर से समबन्धित सभी पुलिस चालानी एवं परिवाद पर आधारित दण्डवाद तथा लक्सर क्षेत्र के आबकारी अधिनियम से समबन्धित चालानी वाद लक्सर क्षेत्र के शांप अधिनियम से समबन्धित वाद, सम्बन्धित थाने के अनुसूचित जाति अधिनियम, अनुसूचित जाति अधिनियम, पुलिस चालानी अधिनियम, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम पुलिस अधिनियम से समबन्धित वाद एवं ३/७ ई०/सी० अधिनियम से समबन्धित वाद।

सिविल जज(कनिष्ठ प्रभाग) / जे०एम० लक्सर

तहसील लक्सर के मूल्यांकन एक लाख रुपये तक के समस्त मूलवाद, खफीफा वाद मूल्यांकन पांच हजार तक, उत्तराधिकार अधिनियम मूल्यांकन एक लाख तक, सभी मूलवाद एवं खफीफा वाद से समबन्धित इजराय वाद एवं उपमुख्यालय लक्सर से समबन्धित पी०ए० वाद।

थाना खानपुर से समबन्धित दण्डवाद एवं ३/७ ई०/सी० अधिनियम से सम्बन्धित वाद।